अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक 27(48) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/विविध/2016–17 जयपुर, दि.13 दिसम्बर, 2016

जिला कलेक्टर
समस्त राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का औचक निरीक्षण बाबत्।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 24–27 नवम्बर, 2016 तक आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण आवासीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान औचक निरीक्षण का अभाव प्रकाश में आया है। राज्य में निम्न ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आवासं स्वीकृत है :–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
2. इंदिरा आवास योजना
3. मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना
4. अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना

उक्त आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाता है, योजना की स्वीकृतियां व किश्त हस्तान्तरण पंचायत समिति स्तर से आवाससॉफ्ट के माध्यम से किया जा रहा है। किश्त हस्तान्तरण हेतु उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का दायित्व टेग अधिकारियों/ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। उक्त सभी आवास योजनाओं के कियान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु माह में 2 बार औचक निरीक्षण रेण्डम आधार पर प्रत्येक ब्लॉक की कम से कम 5 ग्राम पंचायतों में निम्न अधिकारियों द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
3. अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद्।
4. आवास प्रभारी, जिला/पंचायत समिति।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति।

उक्तानुसार कराये गये औचक निरीक्षणों की रिपोर्ट शासन सचिवालय को भी समय–समय पर प्रेषित की जावे।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग,राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव(मो. एवं मू.) को विभागीय बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)